राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-10/एनटीटी/2001/ 1684   दिनांक : 17.7.01

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

मानव भारती टीचर ट्रेनिंग सेन्टर, मसूरी, देहरादून, उत्तरांचल-248179 द्वारा एनटीटी पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु प्रेषित आवेदन पर परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 42-28/2000 अपील/4830 दिनांक 6.9.2000 के संदर्भ में सत्र 2001-2002 के लिए विचार किया गया।

संस्था के एनटीटी पाठ्यक्रम की मान्यता पर विचार करने के लिए संस्था का दिनांक 23.4.2001 को समिति कार्यालय द्वारा मूल्यांकन कराया गया तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एनटीटी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ हैं तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए।

1. संस्था में एक प्राचार्य एवं 17 व्याख्याता हैं लेकिन कोई भी परिषद् मानदंडों की योग्यता की दृष्टि से पूर्ति नहीं करते हैं। अतः एक प्राचार्य एवं 12 योग्यताधारी व्याख्याताओं की कमी है।
2. चार पार्ट टाइम अध्यापक फाइन आर्ट्स/परफोरमिंग आर्ट्स/साइंस की कमी है।
3. चयन समिति का विधिवत गठन होने की कमी है तथा इसके माध्यम से शैक्षिक स्टॉफ के चयन की कमी है।
4. भूमि के वैधानिक दस्तावेजों की कमी है।
5. परिषद् मानदंडों के अनुसार खेल मैदान उपलब्ध नहीं होने की कमी है।
6. कक्षा-कक्ष एवं अन्य कक्ष मानदंडों से छोटे हैं। अतः निर्धारित मानदंडों के अनुसार कक्षा-कक्ष एवं अन्य कक्षों की कमी है।
7. लाइब्रेरी एवं हॉल परिषद् मानदंडों के अनुसार नहीं होने की कमी है।
8. मनोविज्ञान प्रयोगशाला एवं उनके उपकरणों की कमी है।
9. पाँच शैक्षिक जनरलों की कमी है।
10. पाठ्यक्रम परिषद् मानदंडों के अनुसार होने की कमी है।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-19/2001/930 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 15.6.2001 के द्वारा दिया गया था।

संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **मानव भारती टीचर ट्रेनिंग सेन्टर, मसूरी, देहरादून, उत्तरांचल** के प्रस्तावित एनटीटी पाठ्यक्रम की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए।

1. परिषद् मानदंड के पैरा 2.1 के अनुसार शैक्षिक स्टॉफ की कमी है।
2. चयन समिति का विधिवत गठन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने की कमी है।
3. भूमि के वैधानिक दस्तावेजों की कमी है।
4. परिषद् मानदंडों के अनुसार खेल-मैदान उपलब्ध होने की कमी है।

C:\My Documents\Bansal.doc C:\My Documents\Bansal.doc\Subhash Chand\

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501   Fax फैक्स : 91-141-620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in   Website : http://www.ncte-in.org